

107 द.प्र.सं

आदेश पत्रक

M-2 | 2017

प्रथम पक्ष - परवेज खान वीर
बनाम
द्वितीय पक्ष - खनाम

इरफान खान वीर

16/1/17

अभिलेख संख्या - एम. 2 / 2017 धारा - 107 द.प्र.सं.
धाना प्रगारी खूंटी के अप्राथमिकी संख्या - 68/16

11
16/1/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति भुंका होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूंटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 कि अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक :- 28/1/17 को उपस्थापित करें।

Bhar
16/01/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूंटी

21/7/12 चाना प्रभार रडबुंटी की हमार मैला भाषा ,
नामिना सुपान / पुता: डि० 8/8/17 को 235

8/8/12 नामिना सुपान / पुता: डि० 24/8/17 को 235
पुता: डि० 24/8/17 को 235

24/8/17 नामिना सुपान / पुन दिनांक 07.9.17 को
32 लाला को

24-8-17

7/9/17 नामिना सुपान / दिनांक 9.9.17 को लोकअदालत
की सुनवाई हेतु (19)

07.9.17

9/9/12 प्रथम पुन ह्याड सुनवाई में शीघ्र नही मिलना
जाने के कारण दिनांक 9/9/12 को लोक अदालत न
में सुनवाई 24 अक्टूबर तक की जानी है।

9/9/17
कायदा नं० 60510 / कायदा नं० 6010 / अनु० 60510
रडबुंटी रडबुंटी